

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail:-eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2-762/ 10 (10/-00) सेवा में

दिनांक :- 6/9/2016

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वनप्रभाग गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :-

सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण

सन्दर्भ :-

भारत सरकार का पत्र EDS दिनांक 16.08.2016।

महोदय,

े उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुंपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपित्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :--

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Soft copies of shapefile indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total station may be provided.	पार्ट—। के Additional Information में अलग— अलग फाइल बनाकर अपलोड कर दी गयी है। तथा GPS or Total station map संलग्न कर आपको प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक—1 पेज 2)
2	Instead of, Copy of MoU/agreement executed between the Present owner and the User Agency in Part-I, some other document is attached.	पार्ट—। के क्रम संख्या L (iv) (f) में Present owner proof और क्रम संख्या L (iv) (g) में Copy of MoU/agreement executed between the Present owner attached कर दिया गया है। (संलग्नक—2 पेज 3 से 4)


अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :-

प्रपत्र।

(जे.भी रतूड़ी)[।] अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.



परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्सर्गत सिमली शेलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क0सं0	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (है0 मे)
1	कनोठ	625	2.88 हे0
	सम्पर्ण योग:–		2.88 हे0

लो०नि०वि०

किनेष्ठ अभियन्ता प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

राज्यक आमयन्ता प्रा० खा० लो०नि०वि० कर्णप्रयाग

प्रा0 ख0 लो०नि०वि० कर्णप्रयाग

कर्णप्रयाग

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्सर्गत सिमली शेलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तिरत की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 625 क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० जला जिल्हारी